



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी

भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 1739 / SEIAA/2022

Date: 29-9-22

प्रति,

मेसर्स महादेव स्टोन क्रेशर इन्डस्ट्रियल,
पार्टनर, श्री अभय सिंह,
निवासी 201, तानसेन नगर,
जिला ग्वालियर (म.प्र.)

विषय:- प्रकरण क्रमांक 8670/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स महादेव स्टोन क्रेशर इन्डस्ट्रियल, पार्टनर, श्री अभय सिंह, निवासी 201, तानसेन नगर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 23,726 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.332 हेक्टेयर, खसरा 05, ग्राम चिरपुरा, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 748वीं बैठक दिनांक 22.09.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 593 वीं बैठक दिनांक 07.09.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा, विचार विमर्श एवं दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि प्रस्तावित खदान के कलस्टर में 16 खदानें परिलक्षित हैं अतः कलस्टर के पर्यावरण प्रबंधन एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु किये जा रहे प्रावधान एवं उपायों का समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु परियोजना को प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय के परिपालन में आपको सूचित किया जाता है, कि प्रस्तावित खदान के कलस्टर में 16 खदानें परिलक्षित हैं। अतः कलस्टर के पर्यावरण प्रबंधन एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु किये जा रहे उपायों के दृष्टिगत प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थिति सुनिश्चित करें।

o/c (श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव